4851
06-4-17

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / **दिनांक–**

SS (JPM)

15 APR 2017

सेवा में,

US/507
7-4-17

नगर आयुक्त
नगर निगम, मुंगेर
जिला– मुंगेर

महाशय,

नगर निगम, पटना के वर्ष 2015–16 के लेखाओं पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन सं0 1187 / 16–17 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर निगम बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।
संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

–ह0–
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 /14657/508 **दिनांक–** 31/03/17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, मुंगेर

पत्र पंजी
07 APR 2017
3127
संख्या............

तनवीर हसन 31/03/17
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना

निरीक्षण प्रतिवेदन सं.– 1187/16–17

भाग –I

प्रस्तावना

1	निरीक्षित इकाई का नाम	नगर निगम मुंगेर
2	लेखा की अवधि	2015–16
3	लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	अंकेक्षण में जांच किये गये अभिलेखों एवं पंजियों की सूची प्रतिवेदन के परिशिष्ट–i में दर्शायी गयी है। जिन अभिलेखों एवं पंजियों को अंकेक्षण में उपस्थापित नहीं किया गया था, जो अधूरा संधारित थे या संधारित नहीं थे, को परिशिष्ट– ii में दर्शाया गया है।
4	लेखापरीक्षा की अवधि	09.01.2017 से 03.02.2017
5	**प्रशासन**	
	महापौर	**कार्य अवधि**
	श्रीमती कुमकुम देवी	1.4.2015 से 31.3.2016
	उपमहापौर	
	श्रीमती बेबी चंकी	1.4.2015 से 31.3.2016
	नगर आयुक्त	**कार्य अवधि**
	श्री प्रभात कुमार सिन्हा	1.4.2015 से 02.02.2016
	डा0 ईश्वर चन्द्र शर्मा	03.02.2016 से 11.03.2016
	श्री दिनेश दयाल लाल	11.03.2016 से 31.03.2016
6	लेखापरीक्षा दल के सदस्य	श्री वरूण प्रकाश, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी श्री रमेश कुमार अभिषेक, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी श्री राजेश भूषण, वरीय लेखापरीक्षक
7	निरीक्षण अधिकारी का नाम	श्री अरूण कुमार, लेखापरीक्षा अधिकारी (23.01.2017 से 30.01. 2017)
8	पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन अंकेक्षण में उपस्थापित नहीं किया गया, जिसके कारण लंबित कंडिकाओं के निस्तारण की अनुशंसा लेखापरीक्षा दल द्वारा नहीं की जा सकी। कार्यपालिका का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट करते हुए सलाह दी जाती है कि पूर्ववर्ती अंकेक्षण की लंबित कंडिकाओं के अनुपालन हेतु शीघ्र प्रभावी कदम उठाया जाये।
9	अंकेक्षण टिप्पणी	जिन अंकेक्षण आपत्तियों का निस्तारण इकाई के अंकेक्षण के दौरान नहीं हो सका, उन्हें इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।
10	क्या कार्यपालक के साथ आपत्तियों पर चर्चा की गयी	हॉ, दिनांक 03.02.2017 को

दावा अस्वीकरण प्रमाण पत्र

(DISCLAIMER CERTIFICATE)

यह निरीक्षण प्रतिवेदन नगर निगम, मुंगेर द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध कराई गई सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार कार्यालय इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

11(क) निरस्त

(ख) बजट बनाने में सार्वजनिक सहभागिता नहीं

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 2014 के नियम 132 के अनुसार बजट बनाने के दौरान वार्ड समिति या अन्य नागरिकों की राय ली जाएगी। नगरपालिका पदाधिकारी 15 जनवरी से पहले नागरिक सभा के माध्यम से प्रत्येक वार्ड के अनुमानित आय एवं व्यय नागरिकों के समक्ष उनकी टिप्पणी एवं विचार हेतु प्रस्तुत करेंगे। नगरपालिका के सभी विभागों के प्रमुख तथा सशक्त स्थायी समिति के सारे सदस्य उपस्थित रहकर इसमें भाग लेंगे। नागरिकों के सुझाावों विचारों को वार्षिक बजट बनाते समय गम्भीरता से विचार किया जाना है। नगर निगम मुंगेर द्वारा बजट बनाते समय नियम 132 का पालन नहीं किया गया, इसके कारण सार्वजनिक सहभागिता नहीं हो पायी तथा बजट नागरिकों के मूल्यवान सुझावों एवं विचारों से वंचित रह गया।

(ग) बजट की अर्द्धवार्षिक समीक्षा नहीं

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 2014 के नियम 139 के अनुसार नगरपालिका लेखा समिति बजट की अर्द्धवार्षिक समीक्षा कर यह जाँच करेगी कि बजट निर्देशित मार्ग पर ही हो रहा है एवं बजट वास्तविक तथा प्राप्त करने लायक है, साथ ही समिति यह भी देखेगी कि बजट के विश्लेषण में वास्तव में पाँच प्रतिशत से अधिक विचलन नहीं है। परन्तु नगर निगम द्वारा बजट की अर्द्धवार्षिक समीक्षा नहीं की गयी थी।

आपति के जवाब में कहा गया कि भविष्य में अनुपालन किया जाएगा। अतः प्राधिकारी से अपेक्षित है कि आगे से बजट बनाते समय अंकेक्षण में सुझाए गए बिन्दुओं का ध्यान रखा जाय।

12. वित्तीय अधिदृश्य :

कम सं0	विवरण	2015–16
1	प्रा0 शेष	232557753.49
2	वर्ष की प्राप्तियाँ	266529660.00
3	कुल योग	499087413.49
4	व्यय	188031200.00
5	अंतशेष	311056213.49
6	बैंक खाताओं का अंतशेष	307144111.49
7	अन्तर	3912102.00

अन्तर राशि का बैंक समाधान विवरणी तैयार कर लेखापरीक्षा कार्यालय को सूचित किया जाय।

13. <u>वार्षिक लेखा का संधारण</u>

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 86 तथा 88 में क्रमशः लेखा संधारण तथा वित्तीय विवरण तैयार करने का प्रावधान किया गया है। धारा 88 के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति के चार माह के भीतर एक वित्तीय विवरण तैयार करना है जिसमें नगरपालिका लेखा के मद्दे पूर्ववर्ती वर्ष का आय–व्यय लेखा तथा प्राप्तियों एवं अदायगियों को अंतर्विष्ट करना है। इसके अतिरिक्त बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के नियम–120 के अंतर्गत प्राप्ति एवं भुगतान का मासिक विवरण बी0एम0ए0आर0 प्रपत्र संख्या–71 में तैयार करना है तथा नियम–122 के तहत प्राप्ति तथा भुगतान लेखा बी0एम0ए0आर0 प्रपत्र संख्या–71, आय तथा व्यय विवरण बी0एम0ए0आर0 प्रपत्र संख्या–73 एवं आर्थिक चिट्ठा बी0एम0ए0आर0 प्रपत्र संख्या–74 में संधारित करना है।

लेखापरीक्षा आपत्ति के आलोक में अंकेक्षण दल को वार्षिक लेखा दिखाया गया जो उपरोक्त प्रपत्र में संधारित नहीं था। अतः वार्षिक लेखा का संधारण उपरोक्त प्रपत्र में किया जाये।

भाग –II क– शून्य

भाग II ख

कंडिका– 1 नक्शा स्वीकृति में डेवलपमेन्ट परमिट फीस नहीं लेने के कारण हानि ₹15.60 लाख

राज्य सरकार ने जून 2009 में एक अधिसूचना निकाला कि 15 जूलाई 2009 के बाद सभी भवन निर्माण योजनाओं की स्वीकृति वास्तुविदों द्वारा दिया जाएगा तथा 'विकास परमिट शुल्क', भवन निर्माण परमिट शुल्क एवं अन्य शुल्क जो स्थानीय शहरी निकायों द्वारा लगाया जाएगा की वसूली वास्तुविदों द्वारा की जाएगी तथा भवन निर्माण योजनाओं की स्वीकृति के लिए प्रतिवेदनों के साथ प्राप्त राशि निगम कोष में उनके द्वारा जमा की जाएगी।

राज्य सरकार ने 08 दिसंबर 2014 से नया बिहार बिल्डिंग बाई लॉ लागू किया है। जिसके बाई लॉ सं0 7(2) में यह प्रावधान किया गया है कि नगर निगम में डेवलपमेन्ट परमिट फीस निम्न दर से लिया जायेगा–

<u>क्षेत्रफल</u>	<u>परमिट फीस</u>
एक हेक्टेयर तक	रू0 10000/–
एक हेक्टेयर एवं उससे उपर तथा 2.5 हेक्टेयर तक	रू0 20000/–
2.5 हेक्टेयर से 5 हेक्टेयर तक	रू0 30000/–

लेकिन निगम कार्यालय द्वारा अप्रैल 2015 से मार्च 2016 की अवधि में स्वीकृत नक्शों की जॉच में पाया गया कि किसी भी नक्शा की स्वीकृति के लिए नगर निगम द्वारा डेवलपमेन्ट परमिट फीस आवेदनकर्ता

से नहीं लिया गया है। नक्शा प्राप्ति पंजी के अवलोकन में यह पाया गया कि निगम कार्यालय द्वारा वर्ष 2015–16 में स्वीकृत कुल 156 नक्शे सभी आवासीय एवं एक हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल के थे। इस अवधि में कुल 156 नक्शे निगम कार्यालय एवं वास्तुविदों द्वारा पारित किये गये थे, लेकिन इन नक्शों की स्वीकृति में न तो निगम कार्यालय द्वारा तथा न ही वास्तुविदों द्वारा डेवलपमेन्ट परमिट फीस आवेदनकर्ताओं से लिया गया। इस प्रकार नगर निगम कार्यालय को प्रति नक्शा की गणना के आधार पर स्वीकृत कुल 156 नक्शों पर डेवलपमेन्ट परमिट फीस मद में प्राप्त होने वाली राशि रू0 15,60,000.00 की हानि हुयी। विवरण निम्न है–

क0सं0	नक्शा स्वीकृत करने की अवधि	स्वीकृत नक्शों की सं0	प्रति नक्शा दर रू0 में	कुल राशि रू0 में	किनके द्वारा स्वीकृत किया गया
1	1.4.15 से 31.3.16	156	10000	1560000	निगम कार्यालय द्वारा
	योग	**156**		**1560000**	

अंकेक्षण टिप्पणी–

1. नगर निगम कार्यालय को प्रति नक्शा के गणना के आधार पर स्वीकृत कुल 156 नक्शों पर डेवलपमेन्ट परमिट फीस मद में प्राप्त होने वाली राशि रू0 1560000 की हानि हुयी।

2. निगम कार्यालय द्वारा बाई लॉ के उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार डेवलपमेन्ट परमिट फीस आवेदनकर्ताओं से नहीं लिये जाने का कारण लेखापरीक्षा को नहीं बताया गया।

जवाब में बताया गया कि विभागीय निदेश के आलोक में कार्रवाई की जाएगी।

जवाब संतोषप्रद नहीं है। अतः स्वीकृत कुल 156 नक्शों पर डेवलपमेन्ट परमिट फीस मद में प्राप्त होने वाली राशि रू0 1560000 की वसूली संबंधित/जिम्मेवार व्यक्तियों से की जाय।

कंडिका– 2 सी.एफ.एल स्ट्रीट लाईटों के अधिष्ठापन में अनियमितता

नगर निगम, मुंगेर द्वारा संधारित चतुर्थ राज्य वित्त आयोग मद से ली गई योजनाओं की संचिकाओं की जाँच में यह पाया गया कि निगम के प्रत्येक वार्ड में 21 फीट पोल सहित 20–20 नग स्ट्रीट लाईट (सी.एफ.एल.–85 वाट) के अधिष्ठापन हेतु दिनांक–03.11.2014 को निविदा प्रकाशित की गई। निविदा प्राप्ति की तिथि– 10.11.2014 थी तथा निविदा दिनांक–08.01.2015 को खोली गई। निविदा में भाग लेनेवाले 11 फर्मों में से मेसर्स महावीर बिल्डवेल प्रा0 लि, एक्जीविशन रोड, पटना को प्रति नग रू0 13,238.00 (दो वर्ष का रख– रखाव सहित) सफल घोषित किया गया। सफल निविदादाता के साथ एकरारनामा दिनांक– 30.01.2015 को किया गया तथा लाईट अधिष्ठापित किए जाने हेतु दिनांक 30.01.2015 को कार्यादेश निर्गत किया गया।

राशि का व्यय चतुर्थ राज्य वित्त के प्रकाश व्यवस्था मद से किया जाना था। संचिका के अनुसार निगम के 45 वार्डों में कुल 846 सी.एफ.एल. स्ट्रीट लाइटों का अधिष्ठापन किया गया था जिसके विरूद्ध आपूर्तिकर्ता को प्रति लाईट रू0 13,238.00 की दर से कुल रू0 1,11,99,348.00 का भुगतान किया गया

था। उपरोक्त भुगतान राशि में रू0 77,57,468.00 का व्यय चतुर्थ राज्य वित्त आयोग मद से तथा रू0 34,41,880.00 का व्यय 13वीं वित्त आयोग मद से किया गया था।

अंकेक्षण टिप्पणी–

1. योजना का कार्यान्वयन चतुर्थ राज्य वित्त आयोग मद से किया जाना था परंतु इस मद में राशि समाप्त हो जाने के कारण रू0 34,41,880.00 राशि का व्यय 13वीं वित्त आयोग मद से विचलन करके किया गया था। उक्त विचलन के लिए सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन लिए जाने से संबंधित कोई अभिलेख नहीं पाया गया।

2. बिहार वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 131 आर (vii) के अनुसार अधिप्राप्ति प्रकिया को पारदर्शी एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए वांछित सामग्री की विशिष्टियों को साफ– साफ बिना किसी अस्पष्टता के वर्णित होनी चाहिए। निविदा आमंत्रण सूचना में निविदित सामग्री की आवश्यक संख्या नहीं दर्शायी गई थी। निविदा आमंत्रण के पूर्व क्रय किए जानेवाले सामग्री की संख्या का आकलन नहीं किया गया था।

3. नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक– 2बी/विविध–26–04/290: दिनांक– 07.02.2014 के अनुसार नगर निकाय क्षेत्र में बिना वैध विद्युत संबंध की व्यवस्था कराए एवं इससे संबंधित नियमित व्यय की व्यवस्था किए स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन नहीं किया जाना है तथा यदि बिना विद्युत संबंध के तथा नियमित व्यय की व्यवस्था के किसी निकाय द्वारा स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन कराते हुए बिजली का उपभोग किया जाता है तो उसे विद्युत अनधिकृत उपभोग की श्रेणी में मानते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। संचिका में उपरोक्त 846 स्ट्रीट लाईटों के विद्युत संयोजन से संबंधित अभिलेख या इससे संबंधित नियमित व्यय की व्यवस्था से संबंधित कोई अभिलेख संचिका में नहीं पाया गया।

4. कार्यादेश की कंडिका 8 के अनुसार निर्धारित अवधि 90 दिन के अंदर अर्थात् 30.04.2015 तक कार्य पूर्ण नहीं होने पर विपत्र की राशि का न्यूनत्तम 0.5% प्रतिदिन एवं अधिकतम 10% की राशि विपत्र से कटौती कर ली जाएगी। संचिका में स्ट्रीट लाईटों के अधिष्ठापन की तिथि से संबंधित कोई अभिलेख नहीं पाया गया। संचिका के नोटशीट की टिप्पणी एवं फर्म द्वारा समर्पित किए गए विपत्रों के अनुसार 720 स्ट्रीट लाइटों का अधिष्ठापन 2 से 9 माह के विलंब से किया गया था परंतु, योजना के विलंब से कार्यान्वयन के लिए कुल रू0 9,53,136.00 की कटौती आपूर्तिकर्ता के विपत्रों से नहीं किया गया था। विवरण निम्नांकित है–

क्र. सं.	स्ट्रीट लाईटों की संख्या	अधिष्ठापन की तिथि	विलंब की अवधि	विपत्र की कुल राशि (रू0)	विलंब हेतु कटौती की जाने वाली राशि @10 प्रतिशत (रू0)
1.	180	27.06.2015	2 माह	2382840.00	238284.00
2.	140	21.09.2015	4 माह	1853320.00	185332.00
3.	140	21.09.2015	4 माह	1853320.00	185332.00
4.	140	27.02.2016	9 माह	1853320.00	185332.00
5.	120	27.02.2016	9 माह	1588560.00	158856.00
कुल	**720**			**9531360.00**	**953136.00**

आपूर्तिकर्ता के विपत्रों से विलंब हेतु कटौती नहीं किए जाने से रू0 9,53,136.00 का अधिक भुगतान हुआ।

5. स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापन के कराए गए कार्य का मापी नहीं किया गया था। संचिका में कार्य का कोई मापी पुस्तिका नहीं पाया गया।

6. उपरोक्त 846 सी.एफ.एल. स्ट्रीट लाईटों के क्रय से संबंधित भुगतान अभिश्रव/परिवहन चालान की प्रति पर सामग्री प्राप्ति का साक्ष्य दिया जाना चाहिए था। परंतु भंडार पंजी में इन लाईटों की प्राप्ति से संबंधित प्रविष्टि नहीं पाया गया।

7. योजना के अंतर्गत निगम के सभी 45 वार्डों में स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन किया जाना था परंतु, वार्ड संख्या– 15, 27 एवं 30 में लाईट का अधिष्ठापन नहीं किया गया। इन वार्डों में लाईट अधिष्ठापित नहीं किए जाने का कारण संचिका में नहीं पाया गया।

जवाब में बताया गया कि चतुर्थ वित्त में स्ट्रीट लाइट से संबंधित राशि समाप्त होने के फलस्वरूप जनहित में वार्ड के निर्णय के आलोक में 13वीं के स्ट्रीट लाइट हेतु उपलब्ध राशि से भुगतान किया गया जिसका विभाग से अनुमोदन प्राप्त की जाएगी। सभी स्ट्रीट लाईटों का विद्युत संबन्ध ले लिया गया है। संवेदक के सुरक्षित जमा राशि से विलंब की राशि काट ली जाएगी तथा संवेदक को योजना पूर्ण नहीं करने के फलस्वरूप नोटिस निर्गत किया जाएगा।

जवाब के आलोक में संवेदक से विलंब शुल्क की राशि रू0 9,53,136.00 की वसूली कर लेखापरीक्षा कार्यालय को सूचित किया जाए। स्ट्रीट लाइटों के विद्युत संयोजन से संबंधित अभिलेख तथा योजना राशि के विचलन हेतु विभाग से अनुमोदन प्राप्त कर अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाए।

कंडिका–3 जलापूर्ति मद में उपभोक्ता शुल्क की वसूली नहीं होने से राजस्व हानि ₹163.07 लाख

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार ने नगर निकायों द्वारा जलापूर्ति कार्य में व्यय की गई शत–प्रतिशत राशि को वसूलने एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 128(i) के आलोक में दिनांक–12.07.2013 को नगर पालिका क्षेत्रों में जलापूर्ति मद में उपभोक्ता शुल्क की उगाही हेतु दरों को अधिसूचित किया (अधिसूचना संख्या–3/UIG–रिफार्म्स 10/2012–1250) जो बिहार गजट के असाधारण अंक (सं0 576) में दिनांक–18.07.2013 को प्रकाशित हुआ। उपरोक्त अधिसूचना में निम्नांकित विवरणानुसार उपभोक्ताओं की श्रेणी यथाः बहुमंजिली इमारत, स्वतंत्र मकान/बंगला, वाणिज्यिक/औद्योगिक/सरकारी/सांस्थानिक आदि के आधार पर नगर निगम द्वारा अधिरोपित की जानेवाली शुल्क की अलग– अगल दरों का निर्धारण किया गया थाः–

क्र. सं.	उपभोक्ता की श्रेणी (आवासीय)	पाईप का व्यास	न्यूनतम मासिक शुल्क (रू0)
1.	बहुमंजिली इमारत	1/2" एवं ज्यादा	रू0 80.00 से रू0 120.00
2.	स्वतंत्र मकान	1/2" एवं ज्यादा	रू0 120 से रू0 240
3.	वाणिज्यिक संस्थान	1/2" से 6" तक	रू0 600 से रू0 60000 तक

जल उपभोग की मात्रा के आधार पर प्रतिमाह शुल्क निम्न प्रकार निर्धारित किया गया:

क्र.सं	जल की मात्रा	दर प्रति कि0ली0 (रू0)
1.	25 किलो लीटर तक	15.00
2.	25 से 50 किलो लीटर तक	25.00
3.	50 से 100 किलो लीटर तक	35.00
4.	100 किलो लीटर से उपर 500 कि0ली0 तक	50.00

अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि नगर निगम, मुंगेर द्वारा सरकार के उपरोक्त निर्देशों का पालन नहीं किया गया तथा जलापूर्ति के लिए उपभोक्ता शुल्क का अध्यारोपण नहीं किया गया। निगम द्वारा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं यथा: स्वतंत्र मकान, बहुमंजिली इमारत, वाणिज्यिक संस्थान की संख्या का विवरणी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। नगर निगम द्वारा इसके क्षेत्रांतर्गत सभी 45 वार्डों में जल संबद्धता वाले परिवारों की संख्या उपलब्ध कराया गया जिसके अनुसार कुल 6,370 घरों में जलापूर्ति का कनेक्शन दिया गया था परंतु, जल उपभोग के आधार पर आवासीय इकाईयों की संख्या उपलब्ध नहीं कराया गया।

सरकार के उपरोक्त दिशा–निर्देशों के उल्लंधन कर उपरोक्त प्रभार वसूल नहीं करने के कारण नगर निगम वर्ष 2015–16 तक कम–से–कम रू0 1,63,07,200.00 (न्यूनतम दर रू0 80.00 प्रतिमाह के आधार पर) राशि के राजस्व से वंचित रहा। विवरण निम्नांकित है–

वर्ष	जलापूर्ति कनेक्शनों की संख्या	माह	प्रतिमाह न्यूनतम शुल्क (रू0)	वसूलनीय शुल्क की कुल राशि (रू0)
3	4	5	6	7 (4 x 5 x 6)
2013–14	6370	8 (अगस्त 2013–मार्च 2014)	80.00	4076800.00
2014–15	6370	12	80.00	6115200.00
2015–16	6370	12	80.00	6115200.00
	कुल			**16307200.00**

जवाब में बताया गया कि उपभोक्ताओं से कनेक्शन चार्ज लिया जा रहा है एवं मकान कर मे जलकर समाहित है। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि नगर विकास एवं आवास विभाग के दिशा–निर्देशों एवं

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 128(1) के अनुसार नगर निकायों द्वारा जलापूर्ति कार्यों में व्यय की गई राशि की शत प्रतिशत वसूली के लिए उपभोक्ता शुल्क की वसूली की जानी थी।

कंडिका– 4 सैरातों की बंदोवस्ती

(क) सैरात बंदोवस्ती की राशि जमा नहीं : रू0 1.87 लाख

मुंगेर, नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत सैरातों की वर्ष 2015–16 के लिए बंदोबस्ती हेतु निर्गत आम सूचना की आवश्यक शर्त्तों की कंडिका 3 के अनुसार उच्चत्तम डाक वक्ता को डाक समाप्ति के तुरंत बाद डाक की संपूर्ण राशि एक मुश्त नगर निगम कोष में जमा करना अनिवार्य होगा। नगर निगम के वर्ष 2015–16 के सैरातों की बंदोबस्ती की संचिका की जाँच में यह पाया गया कि निम्नांकित सैरातों में उच्चत्तम डाक वक्ताओं द्वारा डाक की पूरी राशि जमा नहीं की गई थी:–

क. सं.	वर्ष	सैरात का नाम	उच्चतम डाकवक्ता का नाम	डाक की राशि (रू0)	डाक की जमा राशि (रू0)	शेष राशि (रू0)
1	2	3	4	5	6	7 (5–6)
1.	2015–16	अस्पताल रोड शौचालय	श्री अरूण कुमार	267500.00	106250.00	161250.00
2.	2015–16	राजा बाजार सब्जी मार्केट एवं कौड़ा मैदान स्थित परती जमीन तथा बाजार	श्री अविनाश कुमार	111900.00	45000.00 44520.00	22380.00
	कुल					**183630.00**

उपरोक्त बंदोबस्तधारियों द्वारा बंदोबस्ती की कुल राशि रू0 183630 अंकेक्षण अवधि तक निगम कोष में जमा नहीं की गयी थी। बंदोबस्ती की आम सूचना के कमांक –3 के अनुसार उच्चतम डाक वक्ताओं द्वारा बंदोबस्ती की सम्पूर्ण राशि निगम कोष में जमा नहीं किए जाने के बावजूद उन्हें बंदोबस्ती दी गयी तथा उनकी बंदोवस्ती को रदद् नहीं किया गया जो अनियमित था।

(ख) स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा नहीं होने से राजस्व की हानि– रू0 3,357.00

इण्डियन निबंधन अधिनियम 1908 की धारा 17(i)(डी) के अनुसार अचल सम्पत्तियों के बंदोवस्ती का निबंधन अनिवार्य है। इसी अधिनियम के अनुसूची 1(ब) के अनुसार एकरारनामा का पंजीकरण बंदोबस्ती की राशि के तीन प्रतिशत मूल्य के मुद्रांक पेपर पर होगी। इस संबंध में मुख्य सचिव, बिहार सरकार (पत्रांक 1920/रजि0/मु0 सचिव; दिनांक–14.08.2002 एवं सचिव–सह– महानिरीक्षक रजिस्ट्रेशन पत्रांक 549 दिनांक 15.3.2005) के दारा सभी विभागों को पूर्व में ही सूचित किया गया था।

अभिलेखों की संवीक्षा में यह पाया गया कि वर्ष 2015–16 के लिए अस्पताल रोड शौचालय की बंदोबस्ती श्री अविनाश कुमार को बंदोबस्ती राशि रू0 1,11,900.00 में दी गई थी। परंतु, बंदोबस्तधारी के साथ एकरारनामा नहीं किया गया था। इस प्रकार, एकरारनामा नहीं किए जाने के कारण बंदोबस्ती राशि के तीन प्रतिशत मुद्रांक शुल्क रू0 3,357.00 की हानि हुई।

जवाब में बताया गया कि जाँचोपरांत संबंधित व्यक्तियों को नोटिस निर्गत कर वसूली की जाएगी।

जवाब के आलोक में उपरोक्त बंदोबस्ती की नहीं जमा की राशि रू0 183630 तथा मुद्रांक शुल्क की राशि रू0 3,357.00 अर्थात् कुल रू0 186987 राशि संबंधित दोषी व्यक्तियों से यथाशीघ्र वसूली कर लेखापरीक्षा कार्यालय को सूचित किया जाए।

कंडिका– 5 विद्युत विपत्र का भुगतान डी.पी.एस सहित करने के कारण नगर निगम को आर्थिक क्षति– रू0 1.14 लाख

विद्युत विपत्र की संचिका एवं भुगतान किये गए विपत्र की जॉच में पाया गया कि नगर निगम द्वारा विद्युत विपत्र का भुगतान डी पी एस (Delay Payment Surcharge) सहित किया गया जबकि नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा निर्देश दिया गया था कि डी पी एस को छोड़कर भुगतान किया जाये। लेकिन नगर निगम द्वारा अप्रैल 2015 से जनवरी 2016 के लिए प्राप्त 8 विपत्रों का पूर्ण भुगतान डी पी एस सहित किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

क्रम सं0	विपत्र का माह	विपत्र सं0	डी पी एस की राशि (रू0)	डी पी एस सहित विपत्र की कुल राशि (रू0)	किया गया कुल भुगतान की राशि (रू0)
1	अप्रैल 2015	7/13-14/M	5085	740617	740617
		8/13-14/M	15820	820714	820714
2	जूलाई 2015	7/13-14/M	11502	769236	769236
		8/13-14/M	10239	709362	709362
3	अक्टुबर 2015	10005398172	11309	799347	799347
		10005500818	10940	760050	760050
4	जनवरी 2016	10008101630	25726	925733	925733
		10008182800	23738	804112	804112
		कुल	**114359**		

इस प्रकार ₹114359/– अनियमित भुगतान किया गया।

जवाब में बताया गया कि वर्तमान में डी.पी.एस का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

अतः विद्युत विभाग से उपरोक्त अनियमित भुगतान की राशि रू0 114359.00 को समायोजन कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाये।

कंडिका– 6 विलम्ब दण्ड की कटौती नहीं –रू 51700.00

ठेके के शर्त क्लाउज–2 के अनुसार योजना के पूर्ण होने में नियत तिथि से होने वाले प्रत्येक दिन के विलम्ब पर संवेदक से प्राक्कलित राशि के 1/2 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से विलम्ब दण्ड की कटौती की जाएगी जो कि अधिकतम 10 प्रतिशत होगी।

नगर निगम, मुंगेर के योजना संख्या 37/14–15 के जॉच में पाया गया कि योजना को विलम्ब से पूरा करने पर भी नगर निगम द्वारा संविदा की शर्त के अनुसार संवेदक से कुल राशि रू 51700.00 विलम्ब दण्ड की कटौती नहीं की गई थी। विवरण निम्न है –

योजना सं. / नाम	संवेदक का नाम	प्राक्कलित राशि	कार्यादेश की तिथि	कार्य पूर्ण होने की तिथि	कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	विलम्ब	विलम्ब दण्ड (प्रा. राशि का 10 प्रतिशत
37 / 14–15 दो स्थानों पर समरसेबुल निर्माण	अशोक कुमार	517000	25.03.15	25.06.15 (90 दिन)	19.08.15	2 माह 19 दिन	51700

योजना में विलम्ब दण्ड की राशि रू 51700.00 की कटौती कर संवेदक को भुगतान करनी थी, किन्तु विलम्ब दण्ड की कटौती नहीं की गयी। इस प्रकार संवेदक को रू 51700.00 अधिक भुगतान कर दिया गया जो कि वसूलनीय है।

जवाब में बताया गया कि जॉचोपरांत नोटिस निर्गत कर सुरक्षित जमा राशि से कटौती कर ली जाएगी।

कंडिका– 7 यो0 सं0– 14 / 15–16 (पि0क्षे0अ0नि0) के कियान्वयन में अनियमितताएँ

योजना का नाम– वार्ड नं0 17 में जगनदन वरणवाल के कैम्पस में पी0सी0सी0 रोड का निर्माण

प्रा0 राशि– ₹ 741000.00
निविदा की तिथि– 25.2.15
एकरारनामा की तिथि– 13.5.15
संवेदक का नाम– अमित कुमार
कार्य पूर्ण करने की अवधि– 90 दिन
कार्य समाप्त होने की तिथि– 27.5.15
मापी पुस्त की राशि– ₹ 740139.00

अंकेक्षण टिप्पणी

1. **योजना में अनियमित कार्य की प्रविष्टि** :– इस योजना में मापी पुस्त के अनुसार PCC कार्य हेतु 64.60 एम क्यू गिट्टी का क्रय किया गया था। बिहार लोक निर्माण संहिता के अनुसार सामग्री की ढुलाई के उपरांत गिट्टी की मात्रा से 8.33% void कटौती के पश्चात ही कुल मात्रा कार्य स्थल पर प्राप्त होगा। इस योजना में PCC कार्य हेतु 64.60 एम क्यू गिट्टी का क्रय किया गया था जो कार्यस्थल पर 59.22 एम क्यू [64.60 - (64.60 x 8.33%)] हीं मान्य है। इस प्रकार 2091 cft गिट्टी से मात्र 2300 cft कार्य ही संभव था जबकि मापी पुस्तिका में 2689 cft (76.16M^3) कार्य अंकित किया गया था। अतः मापी पुस्तिका में कनीय अभियंता द्वारा 389 cft (2689-2300) कार्य की प्रविष्टि अनियमित थी। इस प्रकार 389 cft या 11.00 M^3 पर 3741.30 / M^3 की दर से रु0 41154.00 राशि का अधिक भुगतान किया गया था।

2. **खनन सामग्रियों के ढुलाई पर अनियमित भुगतान राशि 1.93 लाख**

बिहार खनन समानुदान नियमावली 1972 के नियम 40(iv) के अनुसार कार्यों में व्यवहृत खनन सामग्रियों से संबंधित प्रपत्र एम तथा एन एवं चालान संवेदक को प्रमण्डल कार्यालय में जमा करना है

तथा कार्यपालक अभियंता उक्त प्रपत्रों का सत्यापन संबंधित खनन पदाधिकारी से सुनिश्चित करने के पश्चात् ही सामाग्रियो के ढुलाई मद का भुगतान किया जाना है।

उपरोक्त योजना संचिका की जॉच में पाया गया कि उक्त कार्य में प्रयुक्त सामग्रियों के ढुलाई मद में बिना प्रपत्र एम, एन तथा चालान प्राप्त एवं सत्यापन किये ही संवेदक को कुल 193328.00 का भुगतान किया गया जो नियमों के प्रतिकूल थे। विवरण इस प्रकार है–

Sl.No.	Name of Material	Quantity	Rate of Carriage	Amount (Rs.)
1	Stone Chips	64.60 m3	1749.50/m3	113018
2	Kiul Sand	32.30 m3	861.50/m3	27826
3	Sand	152.31m3	242.08/m3	36871
4	Brick	26891 Nos	580.60per thousand	15613
				193328

उपरोक्त आपतियों के जवाब में कहा गया कि तकनीकी पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त कर भविष्य में अनुपालन किया जाएगा। जवाब संतोषजनक नहीं हैं। अतः रू0 41154/– की राशि संबंधित जिम्मेवार व्यक्तियों से वसूलनीय है एवं आपति के निराकरण होने तक रू0 193328/– की राशि अंकेक्षण आपति के अधीन रखी जाती है।

कंडिका– 8 यो0 सं0– 28/15–16 (पि0क्षे0अ0नि0) के कियान्वयन में अनियमितताएँ

योजना का नाम– वार्ड नं0 33 में बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से गोपाल प्रसाद के घर तक पी0सी0सी0
प्रा0 राशि– ₹ 733000.00
निविदा की तिथि– 25.2.15
एकरारनामा की तिथि– 26.5.15
संवेदक का नाम– अमित कुमार सिन्हा
कार्य पूर्ण करने की अवधि– 90 दिन
कार्य समाप्त होने की तिथि– 20.8.15
मापी पुस्त की राशि– ₹ 732700.00

अंकेक्षण टिप्पणी

1. **योजना में अनियमित कार्य की प्रविष्टि** :– इस योजना में मापी पुस्त के अनुसार PCC कार्य हेतु 74.80 एम क्यू गिट्टी का क्रय किया गया था। बिहार लोक निर्माण संहिता के अनुसार सामग्री के ढुलाई के उपरांत गिट्टी कि मात्रा से 8.33% void कटौती के पश्चात ही कुल मात्रा कार्य स्थल पर प्राप्त होगा। इस योजना में PCC कार्य हेतु 74.80 एम क्यू गिट्टी का क्रय किया गया था जो कार्यस्थल पर 68.57 एम क्यू [74.80 - (74.80 x 8.33%)] हीं मान्य है। इस प्रकार 2422 cft गिट्टी से मात्र 2664 cft कार्य ही संभव था जबकी मापी पुस्तिका में 3012 cft (85.3M^3) कार्य अंकित किया गया था। अतः मापी पुस्तिका में कनीय अभियंता द्वारा 348 cft (3012-2664) कार्य की प्रविष्टि अनियमित था। इस प्रकार 348 cft या 9.85 M^3 पर 3323.10/ M^3 की दर से राशि ₹ 32733/– का अधिक भुगतान किया गया था।

2. **खनन सामग्रियों के ढुलाई पर अनियमित भुगतान राशि ₹ 2.21 लाख**

बिहार खनन समानुदान नियमावली 1972 के नियम 40(iv) के अनुसार कार्यों में व्यवहृत खनन सामग्रियों से संबंधित प्रपत्र एम तथा एन एवं चालान संवेदक को प्रमण्डल कार्यालय में जमा करना है तथा कार्यपालक अभियंता उक्त प्रपत्रों का सत्यापन संबंधित खनन पदाधिकारी से सुनिश्चित करने के पश्चात् ही सामाग्रियों के ढुलाई मद का भुगतान किया जाना है।

जॉच में पाया गया कि उक्त कार्य में प्रयुक्त सामग्रियों के ढुलाई मद में बिना प्रपत्र एम, एन तथा चालान प्राप्त एवं सत्यापन किये ही संवेदक को कुल ₹ 220853.00 का भुगतान किया गया जो नियमों के प्रतिकूल थे। विवरण इस प्रकार है–

Sl.No.	Name of Material	Quantity	Rate of Carriage	Amount (Rs.)
1	Stone Chips	74.80 m3	1749.50/m3	130862
2	Kiul Sand	37.40 m3	861.50/m3	32220
3	Sand	186.90m3	242.08/m3	45244
4	Brick	21576 Nos	580.60 per thousand	12527
				220853

उपरोक्त आपत्तियों के जवाब में कहा गया कि तकनीकी पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त कर भविष्य में अनुपालन किया जाएगा। जवाब संतोषजनक नहीं हैं।

कंडिका– 9 वसूली गयी राशि निगम कोष में जमा नहीं – रू0 1.10 लाख

गृहकर रसीद एवं विविध रसीद की वसूली की जॉच में पाया गया कि विभिन्न कर संग्राहकों एवं अन्य निगम कर्मी द्वारा वसूली गयी पूरी राशि रू0 602198.00 नगर निगम निधि में जमा नहीं की गयी थी। परन्तु लेखापरीक्षा में उठायी गयी आपत्ति के आलोक में रू0 492205.00 रोकड़पाल के पास जमा की गयी एवं शेष राशि रू0 109993.00 जमा नहीं किया गया। विवरण निम्न प्रकार है:–

कम सं0	कर संग्राहक का नाम	वसूली गयी राशि जिसे जमा नहीं की गयी	अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में जमा की गयी राशि	जमा नहीं की गयी राशि
1	श्री सुमित कुमार	20062	0	20062
2	श्री दशरथ प्रसाद	50136	50136	0
3	श्री राहुल कुमार सिंह	2143	2143	0
4	श्री दिनेश चन्द्र शर्मा	148548	65377	83171
5	श्री धीरज कुमार	380	380	0
6	श्री संजय कुमार सिन्हा(पी0)	160	0	160
7	पवन कुमार सिंह	158760	158760	0
8	श्री संजय कुमार सिंह(के0)	36900	36900	0
9	श्री संजय कुमार सिन्हा(जी0)	23200	23200	0
10	श्री राजेश कुमार	7669	7669	0

11	सुभाष मिश्रा	16052	16052	0
12	जयप्रकाश तांति	13403	13403	0
13	कालीचरण	36525	36525	0
14	कृष्णनंदन सिंह	60	60	0
15	विश्वनाथ यादव	1500	1500	0
16	अमित कुमार	6600	0	6600
17	ध्रुव पंडित	6400	6400	0
18	उदय पाण्डे	100	100	0
19	विक्की भारती	73600	73600	0
		602198	**492205**	**109993**

जवाब में कहा गया कि लेखापरीक्षा आपत्ति के आलोक में संबंधित व्यक्तियों को नोटिस कर राशि जमा करने की कार्रवाई की जा रही है।

वसूली गयी राशि वसूल करने के अगले दिन जमा किया जाना चाहिए था परन्तु ऐसा नहीं किया जाना अस्थायी गबन की ओर संकेत करता है। अतः इसे रोकने के लिए उचित कार्रवाई की जाय एवं रू0 109993.00 जमा करवाकर लेखापरीक्षा कार्यालय को सूचित किया जाय। साथ ही अंकेक्षण आपत्ति के विरूद्ध रोकड़पाल के पास जमा राशि रू0 492205.00 का नगर निगम कोष में जमा का साक्ष्य अगले अंकेक्षण दल को दिखाया जाय।

कंडिका– 10 संचार (मोबाईल) टावरों के विरूद्ध बकाया पंजीकरण शुल्क– रू 48.33 लाख

बिहार सरकार द्वारा संचार (मोबाईल) टावरों एवं संबंधित संरचना पर करों के संबंध में बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012 दिनांक 08.10.12 को अधिसूचित किया गया है। उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(1) अनुसार नगर निगम में पंजीकरण शुल्क रू 50,000.00 प्रति टावर एवं नवीकरण शुल्क रू0 15,000.00 प्रति टावर प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है।

नियम 6(2) के अनुसार उपर्युक्त नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व के स्थापित मोबाईल टावरो को उपवर्णित पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा तथा नवीकरण शुल्क टावर स्थापित करने के समय से पूर्ण वर्षो की संख्याा के आधार पर लिया जाएगा। साथ ही टावर पर लगाए गए प्रत्येक अतिरिक्त एंटिना पर 60 प्रतिशत की दर से पंजीकरण फीस तथा नवीकरण फीस अतिरिक्त रूप से देने का प्रावधान है।

मुंगेर नगर निगम द्वारा लेखापरीक्षा में प्रस्तुत विवरणी के अनुसार निगम के क्षेत्रान्तर्गत 50 मोबाइल टावर अधिष्ठापित थे एवं उपर्युक्त नियमावली के अनुसार अधिष्ठापित मोबाइल टावरों पर वर्ष 2015–16 तक पंजीकरण एवं नवीनकरण शुल्क के मद में कुल रू0 48,33,000.00 शुल्क बकाया था।

जवाब में कहा गया कि वसूली हेतु नोटिस निर्गत किया जा चुका है एवं वसूली की कार्रवाई की जाएगी। अतः जवाब के आलोक में यथाशीघ्र वसूली की जाय एवं इसकी सूचना अंकेक्षण कार्यालय को दी जाय।

कंडिका– 11 निरस्त

कंडिका– 12 सम्पत्ति कर की बकाया राशि – रू 158.95 लाख

नगर निगम द्वारा लेखापरीक्षा को सम्पत्ति कर की बकाया राशि के प्रस्तुत किए गए विवरणी के अनुसार वर्ष 2015–16 में कुल ₹ 623.23 लाख का कर वसूली का लक्ष्य था जिसके विरूद्ध वर्ष 2015–16 के दौरान कुल ₹ 464.28 लाख की वसूली की गयी थी। अर्थात कुल ₹ 158.95 (623.23 – 464.28) लाख की वसूली नहीं की गयी थी। इस प्रकार वर्ष 15–16 में मात्र 74.49 प्रतिशत लक्ष्य की ही प्राप्ति की जा सकी।

आपत्ति के जवाब में कहा गया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में वसूली की कार्रवाई की जाएगी। अतः बकाया रू0 158.95 लाख की वसूली की जाये।

कंडिका– 13 बकाया दुकान किराया रू0 16.43 लाख

नगर निगम मुंगेर द्वारा लेखापरीक्षा में प्रस्तुत विवरणी के अनुसार नगर निगम द्वारा आवंटित दुकान के दुकानदारों पर दिनांक 31.01.2017 को कुल राशि रू0 16,43,400.00 किराया बकाया था। विस्तृत विवरणी निम्नवत है–

क्रम सं0	दुकान का विवरण	कुल दुकानों की संख्या	31.01.2017 को बकाया राशि
1.	बेकापुर मार्केट	32	470750
2.	कर्पूरी मार्केट	8	29220
3.	नगर निगम मार्केट	8	160200
4.	कौड़ा मैदान मार्केट	16	108950
5.	अस्पताल रोड मार्केट	16	98880
6.	ओम प्रकाश मार्केट	24	311400
7.	ललित नारायण मार्केट	27	464000
	कुल	**131**	**1643400**

इस प्रकार, अंकेक्षण की तिथि तक (जनवरी 2017) नगर निगम क्षेत्रांतर्गत विभिन्न स्थलों पर अवस्थित 131 दुकानों के विरूद्ध किराया के मद में कुल रू0 1643400.00 बकाया था।

जवाब में कहा गया कि नोटिस निर्गत कर राशि वसूली की कार्रवाई की जाएगी। अतः रू0 16,43,400 की वसूली यथाशीघ्र किया जाये।

कंडिका– 14 अग्रिम

बिहार कोषागार संहिता भाग– 1 के नियम– 611 के अनुसार सरकारी कर्मचारी को विभागीय प्रयोजन के लिए अस्थायी अग्रिम दी जाती है एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम– 669(बी) में स्पष्ट उल्लेख है कि अग्रिम राशि का अगले माह के अन्त तक नगद या अभिश्रव के रूप में समायोजन हो जानी चाहिए तथा बिहार कोषागार संहिता भाग–1 के नियम– 609(1) के अनुसार किसी व्यक्ति को प्रथम अग्रिम देने का प्रावधान है। प्रथम अग्रिम के समायोजन के बाद ही द्वितीय अग्रिम देने का प्रावधान है। अग्रिम